



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)


क्रमांक 376/गोपनीय/UFM/2017

अम्बिकापुर, दिनांक : 23/12/2017

अधिसूचना

विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2017 की विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को अध्यादेश क्रमांक 6 की कंडिका 23(एफ) के प्रावधानानुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये दण्ड स्वरूप अन्तिम निर्णय निम्नानुसार हैं:-

केन्द्र क्र.	अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	विषय/प्रश्नपत्र	अन्तिम निर्णय
M.Sc. IISemester (Environmental science)				
05	7270160006	Ku. Sakshi Singh	Environmental Pollution	प्रश्नपत्र निरस्त



कुलसचिव

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
अम्बिकापुर, दिनांक- / / 2017

पृ.क्रमांक 377/गोपनीय/UFM/2017

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय कुलपति जी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- संकायाध्यक्ष, सम्बन्धित संकाय की ओर सूचनार्थ।
- 3- प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- 5- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
- 6- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, परीक्षा विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं प्रभारी
- 7- संपादक/ब्यूरो चीफ. की ओर भेज कर अनुरोध है कि उपरोक्त परीक्षा परिणाम अपने लोकप्रिय
- 8- विश्वविद्यालय सूचना पटल।
- 9- संबंधित नस्ती।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय)
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)